(नियम 26) 2023/27

अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र जी बनाम संदीप कुमार पुत्र सावरमल

मुकदमा Fssai-act नं. 13 सन् 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/1/23 | यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खादय सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.01.2023 को पेश हो। <br>अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू | |
| 24/1/23 | पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। <br><br>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी वार्ड नम्बर 04, अनाज मण्डी सुरजगढ, झुन्झुनू में मै0 मालीराम सांवरमल के नाम से दुकान है जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से धनिया पाउडर (श्री डागा एगमार्क) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि वह ब्रान्डेड पैक्ड खाद्य पदार्थ का बेचान करता है। लेकिन जिस बैच का सैम्पल लिया गया है। उसका पक्का बिल उससे खो गया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। <br><br>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3339/एक्ट/2022/3379 दिनांक 17.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (श्री डागा एगमार्क) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 मालीराम सांवरमल पर धनिया पाउडर (श्री डागा एगमार्क) का बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (श्री डागा एगमार्क) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सांवरमल डोलिया, निवासी वार्ड नम्बर 04, अनाज मण्डी सुरजगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <br>अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू | ह०- संदीप कुमार |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested